फर्द अहकाम

रूपाराम बनाम जसवंत व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 53/2022

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि यह कि हाल खसरा नं. 547 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 562 रकबा 0.17 है0 खसरा नं. 564 रकबा 0.07 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम पूठ का बास उर्फ चावा का बास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित है। वाद ग्रस्त आराजी का हाल ग्राम पूठ का बास उर्फ चावा का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर के जागीरदार ठा. विजय सिंह थे। जिनकी जागीरी दिनांक 01.07.1958 के करीब समस्त हो गयी थी। राजस्थान प्रान्त में छोटी बडी जागीरे सन् 1952 से समाप्त होती गयी और दिनांक 01.07.1958 को सम्पूर्ण जागीरे समाप्त हो गयी और राजस्थान टेनेन्सी एक्ट फोर्स में आने से राज्य सरकार मालिक हो गयी। हाल वाद ग्रस्त आराजीयात के यानि सवत् 2011 के पूर्व के नम्बर 1904 रकबा 3 बीघा 16 बीस्वा थे जिसके एकीकरण के बाद खसरा नम्बर 1453 कायम हुये उससे पूर्व प्रथम सैटिलमेन्ट के दौरान वाद ग्रस्त आराजी के साबिका नम्बर 1904 रकबा 3 बीघा 11 बीस्वा कायम थे। इस प्रकार का इन्द्राज रिकार्ड व मिलान क्षेत्रफल में अंकित है। साबिका रिकार्ड में आराजी गैरमुमकीन टीबा अंकित थी जिस पर काश्त सम्भव नही थी। जिसको प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण 3 लगायत 10 के बुर्जुगान तथा स्वंय ने काफी रूपया सर्फ कर समत्ल कर उपजाउ बनाया है। वाद ग्रस्त आराजीयात पर काफी अर्से से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पहले से ही प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण नं० 3 लगायत 10 के तीन पीढी के पूर्वज दादा रामसुखा पुत्र हरदेवा मीणा व अन्य बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर लाभ उठाते थे जिनके बाद प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण 3 लगायत 10 के पूर्वज परिजन सम्मिलित रूप से बतौर काश्तकार काबिज होकर लाभ उठाते आ रहे है। और वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 562 रकबा 0.17 हेक्टर पर प्रार्थीगण तथा हाल खसरा नम्बर 564 रकबा 0.07 हेक्टर पर तरबीबी अप्रार्थीगण नं० 3 लगायत 10 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर लाभ उठाते आ रहे है। गोया वाद ग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण तरबीबी नं० 3 लगायत 10 का कब्जा काश्त 9–10 दशक से निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थीगण तथा तरबीबी अप्रार्थीगण नं0 3 लगायत 10 ने साबिका गैर मु. टीबा को काबिल उपजाउ बनाने में काफी रूपया सर्फ करके आम नीम बरगद नीबू आवला इत्यादि के पेड लगाये जो सर संख्या मौजूद है इसके अलावा वर्तमान में बरसाती फसल में तिल मूंग इत्यादि की फसल लगायी है। और चारो ओर बाउण्ड्री वाल भी लगा रखी है। वादग्रस्त आराजी के साबिका ग्राम नाम मानपुर मांचेडी जिसके जागीरदार ठा. विजय सिंह थे उस समय यानि जागीर के समय भी प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 के बुजर्गान लटाई देते थे जागीर प्रथा के बाद ज[illegible] लगान देते आये थे। जागीरदार ने वाद ग्रस्त भूमि माफी में [illegible] हेतु [illegible] वल्द श्योनारायण तथा श्योनारायण वल्द नाथूलाल कौम ब्रा[illegible] को बतलादी तब भी भूमि गै.मु. टीबा के रूप में थी लेकिन जागीरदार के समय तथा माफीदारो के समय भी कब्जा काश्त प्रार्थीगण त[illegible] अप्रार्थीगण नं० 3 लगायत 10 के पूर्वज परिवारजन का ही रहा। माफीदारो ने कभी काश्त नही की, माफी भी सन् 1958 के पूर्व खत्म हो गयी तब भी यानि रिज्यूम माफी प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण 3 लगायत 10 का तथा पूर्वजन परिवार का	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

रूपाराम बनाम जसवंत व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 53/2022

बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा था जो वर्तमान में निरन्तर चला आ रहा है। वरवक्त रिज्यूम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 के बुर्जुगान बतौर खातेदार काश्तकार काबिज थे। बरसाती फसल करते थे जिसे विकसित कर वर्तमान में कच्ची बगीची छायादार व फलदार पेड़ लगाकर काम में ले रहे हैं। कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने तक तथा माफी रिज्यूम तक जिस कृषक का वास्तविक रूप से कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार हो उसे खातेदार काश्तकार की श्रेणी देकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार अंकित होना चाहिए। लेकिन माफीदार गोकुल नारायण पुत्र श्योराम कौम ब्राह्मण के नाम खातेदारी बिना किसी जांच व कब्जे के अंकित कर दी गयी जो प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 के विरुद्ध अधिकार के बा असर व शून्य हैं क्योंकि माफी रिज्यूम अंतिम रूप से 1 जुलाई 1958 को हो गई थी। उस समय तत्कालीन कार्यरत माफीदार का कब्जा न होकर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 के बुर्जुगान परिवारजन का था। जो वर्तमान में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण नं० 3 लगायत 10 का चलता आ रहा है। गलत रूप से माफीदार को खातेदार काश्तकार दर्ज करके वरवक्त सेटिलमेंट राजस्व रिकॉर्ड तैयार कर दिया गया और सेटिलमेंट के दौरान हाल खसरा नंबर 547, 562, 564 की खातेदारी दीगर नंबरान के हाल दर्ज कर खतौनी बंदोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 मे जारी कर दी। जबकि गोकुल नारायण पुत्र श्योराम का कब्जा वास्तविक रुप में कभी नहीं रहा। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में तथाकथित काश्तकार से हस्तानांतरित होकर मुख्य अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम नुमाहिसी तौर पर अंकित हो गई, जबकि कब्जा बदस्तूर अप्रार्थीगण 3 लगायत 10 का चला आ रहा है। मुख्य अप्रार्थीगण 1 व 2 न तो ग्राम पूठ का बास उर्फ चावा का बास तहसील आमेर का कदमी बाशिंदा था, न है। लेकिन इन लोगों ने अपने नाम वादग्रस्त आराजी अन्य कोई उच्च पद पर आसीन सरकारी अफसर के लिए अपना नाम अंकित करा लिया, वर्तमान दर्ज मुख्य अप्रार्थीगण 1 व 2 ने मौके पर न तो कभी कब्जे में रहे और न है लेकिन जिनकी सह से और जिनके लिए मुख्य अप्रार्थीगण 1 व 2 समर्पित हैं इनकी ओर से अपने नाम दर्ज का नाजायज फायदा उठा कर मौके पर दीगर कारकुनान द्वारा आकर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण 3 लगायत 10 को आज से 1 माह पूर्व ऐलानीया धमकी दी कि जमीन हमारे नाम हो गई है, अब हम तुमको कब्जे से हटायेगे। हमारी मर्जी होगी जो काश्त करेंगे, फार्म हाउस बनाऐंगे। बनी हुई सुरक्षा के लिये बनाई गयी कच्ची पक्की डोल दीवार तथा तार बन्धी को उपाडने पर आमान्दा हो गये। जिसका उनको कोई अधिकार न है न था। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व कानूनी बिन्दओं के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला एवं तुलनात्मक सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में है। मुख्य अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] वादग्रस्त खसरा नम्बर 562 व 564 में प्रार्थीगण तथा अ[illegible]ा 3 लगायत 10 को उक्त वादग्रस्त आराजी का उपयोग [illegible] कर देगा, अथवा बेदखल कर देंगे या मौके पर निर्माण, त[illegible] दीवार को नष्ट कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति करना किसी भी [illegible]त में सम्भव नहीं है। मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेंडिग होगी। जबकि प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी /वादी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं 1 लगायत 2 को मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

रूपाराम बनाम जसवंत व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 53/2022

वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

दौराने बहस अप्रार्थी सं 3 लगायत 10 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं 1 लगायत 2 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी व पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.08.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम पूठ का बास उर्फ चावा का बास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित खसरा नं 562 रकबा 0.17 है0 खसरा नं. 564 रकबा 0.07 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फॉरेस्ट ट्रक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:36 IST
Reason: SelfAttested